संख्या- 54/1398/24-1-14-18पी/05

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 14 जुलाई, 2014

विषय:- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु अंशपूँजी मद में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-464/मप्र(वित्त)/विप्र-2/253/बजट/2014-15, दिनांक 17.06.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु अंशपूँजी मद में लेखानुदान अवधि में कुल पूजीगत कार्यो हेतु रूपये प्राविधानित धनराशि रूपये 17,79,08,74,000/- (रूपये सत्रह अरब उन्नासी करोड़ आठ लाख चौहत्तर हजार मात्र) में से रूपये 2,80,00,00,000/- (दो अरब अस्सी करोड़ मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उपरोक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग सामान्य योजना के अन्तर्गत विद्वुत वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु यू0पी0पी0सी0एल0/डिस्काम्स के बिजनेस प्लान के वित्त पोषण के लिए किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपयोग अन्य किसी कार्य हेतु कदापि नहीं किया जायेगा तथा इन कार्यों को व्यापार विकास निधि से कराये जाने वाले कार्यों तथा विशेष घटक योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों से पूर्णतया पृथक रखा जाये। इसका प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करते हुए वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण भी अलग-अलग उपलब्ध कराया जायेगा तथा जहॉ पर कार्य कराया गया है उनके स्थलों का विवरण भी उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण पर ही किया जायेगा।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/ लखनऊ और ऊर्जा विभाग/ वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

7- आयोजनागत मदों में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में आयोजनेत्तर मदों में नहीं किया जायेगा।

8- यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्ही कार्यों के लिए हो जो संबंधित डिस्काम्स द्वारा अपरिहार्य रूप से कराये जाने हो तथा जिनकी तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति

http://shasanadesh.up.nic.in

सक्षम स्तर से प्राप्त कर ली गयी हो। यथासम्भव अवमुक्त धनराशि का उपयोग किये जाने में उन कार्यो को प्राथमिकता प्रदान की जाये जो प्रारम्भ किये जा चुके हो तथा अधूरे पडे हो।

9- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

10- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत-05-संचरण तथा वितरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु अंशपूॅजी-30-निवेश/ऋण'' के नामे डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0-116/दस-2014, दिनांक 14 जुलाई, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 54/1398(1)/24-1-13, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग-1
5- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- /1344/24-1-14-3994/2004

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक जून, 2014

विषयः- वर्ष 2014-15 में भारत सरकार की राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0 से प्राप्त धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-313/मप्र(वित्त)/विप्र-1/आरजीजीवाई/304/2014-15, दिनांक 09.06.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, नई दिल्ली से किये गये त्रिपक्षीय समझौते के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ग्रामों के विद्युतीकरण कराये जाने के लिए उ0प्र0 राज्य विद्युत निगम लि0 (परिवर्तित नाम उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0) में अंशपूँजी विनियोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में रूपये 23,65,00,00,000/- (रूपये तेईस अरब पैंसठ करोड़ मात्र) का प्राविधान किया गया है। जिसके सापेक्ष वर्ष 2014-15 के लेखानुदान हेतु धनराशि रूपये 7,88,33,00,000/- (रूपये सात अरब अठठ़ासी करोड़ तैंतीस लाख मात्र) का प्राविधान किया गया है, में से शासनादेश संख्या- 50/894/24-1-14-3994/2004, दिनांक 06.06.2014 द्वारा धनराशि रूपये 14,10,05,921/- (रूपये चौदह करोड़ दस लाख पॉच हजार नौ सौ इक्कीस मात्र) की स्वीक़ति प्रदान की गयी थी अब उक्त प्राविधानित धनराशि में से ग्रामीण विद्वुतीकरण निगम लि0 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रूपये 41,99,47,189/- (रूपये इकतालिस करोड़ निन्यानबें लाख सैंतालिस हजार एक सौ नवासी मात्र) के सापेक्ष इतनी ही धनराशि स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा इस स्वीकृत धनराशि का आहरण नगद न करके पुस्तक समायोजन द्वारा किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 41,99,47,189/- (रूपये इकतालिस करोड़ निन्यानबें लाख सैंतालिस हजार एक सौ नवासी मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत व्यय-आयोजनागत-06- ग्रामीण विद्युतीकरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-त्वरित ग्रामीण विद्वतीकरण कार्यक्रम (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम) हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम में अंशपूँजी विनियोजन (के0-100)-30- निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0 द्वारा अवमुक्त रूपये 41,99,47,189/- (रूपये इकतालिस करोड़ निन्यानबें लाख सैंतालिस हजार एक सौ नवासी मात्र) में से रूपये 38,83,94,882/- (रूपये अड़तीस करोड़ तिरासी लाख चौरान्नबें हजार आठ सौ बयासी मात्र) लेखाशीर्षक" 0801- बिजली-06- ग्रामीण विद्युतीकरण-800-अन्य प्राप्तियॉ-01- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्तियाँ तथा अवशेष रूपये 3,15,52,307/- (रूपये तीन करोड़ पन्द्रह लाख बावन हजार तीन सौ सात मात्र)" लेखाशीर्षक " 6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण-109- अन्य संस्थाओं से कर्ज-09-ऊर्जा विभाग- 0902- ग्रामीण विद्वुतीकरण निगम से कर्ज के अन्तर्गत जमा की जायेगी।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-0-यू0ओ0- /दस-2014, दिनांक जून, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या- /1344(1)/24-1-14, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर- एच, अलीगंज लखनऊ।
3- सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, नई दिल्ली।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ राज्य योजना आयोग अनुभाग-1
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in